मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः02.12.2025

थाना चील्ह क्षेत्रान्तर्गत मिश्रधाप चील्ह-गोपीगंज मार्ग पर स्थित पेट्रोल पम्प पर मारपीट व रंगदारी मांगने तथा लोक परिशांति भंग करने के अभियोग से सम्बन्धित 02 अभियुक्त गिरफ्तार —

थाना चील्ह, जनपद मीरजापुर पर दिनांकः01.12.2025 को वादी तीरथराज पुत्र स्व0शम्भूनारायण निवासी महंगीपुर थाना चील्ह जनपद मीरजापुर द्वारा थाना चील्ह क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मिश्रधाप चील्ह-गोपीगंज मार्ग पर स्थित जयशंकर आटो फिलिंग स्टेशन पर नामजद अभियुक्तों द्वारा पेट्रोल पम्प कर्मचारीगण से गाली-गलौज करते हुए रंगदारी मांगने तथा लाठी डण्डे से लैश होकर पेट्रोल पम्प के ऑफिस/केबिन में घुसकर तोड़फोड़ व मारपीट करने के सम्बन्ध में दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर चील्ह पर मु0अ0सं0-262/2025 धारा 191(2),333,115(2),352,351(2),324(4),308(4) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

"सोमेन बर्मा" वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक नगर, क्षेत्राधिकारी सदर व थाना प्रभारी चील्ह को घटना से सम्बन्धित अभियुक्तों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए गए। उक्त निर्देश के क्रम में उपरोक्त अभियोग में आज दिनांकः02.12.2025 को थाना चील्ह पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए चील्ह ब्लॉक तिराहा के पास से 02 अभियुक्तों 1.राममिलन यादव व 2.शशि मिलन यादव पुत्रगण स्व0यज्ञनारायण यादव उर्फ जगई निवासी मिश्रधाप थाना चील्ह जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण —

1.राममिलन यादव पुत्र स्व0यज्ञनारायण यादव उर्फ जगई निवासी मिश्रधाप थाना चील्ह जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-55 वर्ष।

2.शशि मिलन यादव पुत्र स्व0यज्ञनारायण यादव उर्फ जगई निवासी मिश्रधाप थाना चील्ह जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-42 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0सं0-262/2025 धारा 191(2),333,115(2),352,351(2),324(4),308(5) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट थाना चील्ह जनपद मीरजापुर।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय —

चील्ह ब्लॉक तिराहा के पास से, आज दिनांकः02.12.2025 को समय 16:50 बजे।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम —

उप-निरीक्षक अरविन्द कुमार गुप्ता चौकी प्रभारी चेतगंज, थाना चील्ह जनपद मीरजापुर।

मुख्य आरक्षी कन्हैया यादव व आरक्षी अशोक कुमार।

****